भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2412
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

शौचालय निर्माण के लिए सर्वेक्षण

2412. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा कमियों की पहचान करने और प्रत्येक घर में शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण अभियान और शिविर आयोजित करने का भी निदेश दिया है कि सभी लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए समय पर मंजूरी आदेश प्राप्त हों; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के अनुसार बारह करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और शौचालय कवरेज का दायरा शत-प्रतिशत तक पहुंच गया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मौजूदा अभाव की पहचान करने और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश जारी नहीं किया है। हालांकि , जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार , स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का दूसरा चरण 01 अप्रैल, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा बनाए रखना और ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना है। यह समझते हुए कि शौचालयों के

निर्माण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है न कि एकबारगी कार्यकलाप क्योंकि लगातार नए बनते परिवार, प्रवासी परिवार आदि हैं , जिनके लिए शौचालयों की आवश्यकता होगी , नए वैयक्तिक घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करना एसबीएम (जी) निधियों से किए जाने वाले व्यय के मामले में पहली प्राथमिकता है और राज्यों को लगातार सलाह दी जाती है कि वे शेष शौचालयों के संबंध में योजना बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर इस कमी को दूर करें।प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यक्रम के साथ समन्वय में भी, एसबीएम (जी) निधियों से घर के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार , स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को नये वैयक्तिक घरेलू शौचालयों की आवश्यक संख्या का आंकलन करने के लिए अभाव विश्लेषण करने की सलाह दी जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण - I के तहत, वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच, 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया। कार्यक्रम के चरण - II में, पिछले 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष में लगभग 1.60 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। तदनुसार , शौचालयों के लिए प्रावधान करना मांग आधारित एक सतत प्रक्रिया है। इसी प्रकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार , स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत 58.99 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 63.71 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है और 5.07 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के लक्ष्य की तुलना में 6.36 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, शौचालयों का निर्माण करवाना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक अनुमेय कार्यकलाप है जिसके अंतर्गत अब तक 56.81 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।

*****